कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 85 /2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 एवं संयुक्त निबन्धक (सी0पी0सी0) के ई–मेल दिनांकित 04.06.2021 के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 22 अप्रैल, 2021 के अनुक्रम में पारित प्रशासनिक आदेश संख्या 56/2021 में निम्नवत सीमातक संशोधन किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह व्यवस्था ग्रीष्म कालीन अवकाश समाप्त होने के उपरान्त अगले कार्य दिवस से प्रभावी होगी।

1. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 के बिन्दु 1 में उल्लिखित दाण्डिक अर्जेन्ट प्रकृति के मामले (लम्बित/नये जमानत प्रार्थनापत्र, रिलीज, बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 अंकित किया जाना, रिमाण्ड कार्य, दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं हाई पावर कमेटी द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में निर्देश), अर्जेन्ट प्रकृति के दीवानी मामलों की भी सुनवाई (जैसे कि निषेधाज्ञा मामले एवं अन्य दीवानी प्रकृति के प्रार्थना पत्रों) आवश्यकता के अनुसार की जा सकेगी। आवश्यकता के अनुसार अन्य दिवानी मामलों (जैसे कि नये वादों का दाखिला इत्यादि) की सुनवाई एवं निस्तारण भी किया जा सकेगा।

a) समस्त सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य निम्नवत् न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निम्नलिखित रोटेशन/समय स्लाट के अनुसार सम्पादित किया जायेगा :–

बैठने का दिन	विशेष न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	कार्य करने की अवधि	विशेष न्यायालयों से सम्बन्धित सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	कार्य करने की अवधि
सोमवार	सत्र न्यायाधीश	11:00 A.M- 12:30 P.M.	अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–2	11:00 A.M- 12:30 P.M.
मंगलवार	अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0– 1		अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–8	
बुधवार	अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0– 3		अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4	
गुरूवार	अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0– 43		अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5	
शुक्रवार	अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष/त्वरित न्यायालय प्रथम कक्ष सं0–23		अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष स0– 42	

b) सी0जे0एम0/ ए0सी0जे0एम0/अपर सिविल जज सी0डि0 न्यायालयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन निम्नवत् किया जायेगा एवं चक्रीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की अवधि प्रत्येक कार्य दिवस पर 12:30 P.M- 02:30 P.M रहेगी।

बैठने का दिन	न्यायालयों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य	न्यायालयों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य
सोमवार	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सी0जे0एम0 एवं अपर सिविल जज सी0डि0 कक्ष संख्या–20	ए0सी0जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–17	ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 15, 16 एवं 17
मंगलवार	ए0सी0जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–16	सी0 जे0 एम0 एवं ए0सी0जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0-16	ए0सी0जे0एम0–तृतीय, कक्ष संख्या–15	ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 15, ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 17 एवं अपर सिविल जज सी0 डि0 कक्ष संख्या–20
बुधवार	ए0सी0जे0एम0–द्वितीय, कक्ष स0–17	सी0 जे0 एम0 एवं ए0सी0जे0एम0– द्वितीय, कक्ष स0–17	ए0सी0जे0एम0–प्रथम, कक्ष स0–16	ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 15, ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या–16 एवं अपर सिविल जज सी0 डि0 कक्ष संख्या–20
गुरूवार	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सी0जे0एम0 एवं अपर सिविल जज सी0डि0 कक्ष संख्या–20	ए0सी0जे0एम0–तृतीय, कक्ष संख्या–15	ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 15, 16 एवं 17
शुक्रवार	ए0सी0जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0--16	सी0 जे0 एम0 एवं ए0सी0जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0--16	ए0सी0जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–17	ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 15, ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या–17 एवं अपर सिविल जज सी0 डि0 कक्ष संख्या–20

Scanned by CamScanner

c) न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जू0 डि0 /त्वरित न्यायालय (महिला अपराध) कक्ष संख्या–41 न्यायालयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन निम्नवत् किया जायेगा एवं चक्रीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की अवधि प्रत्येक कार्य दिवस पर 11:30 P.M- 02:00 P.M रहेगी।

बैठने का दिन	न्यायालयों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य	न्यायालयों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी	न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य
सोमवार	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25 एवं जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33 एवं सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41
मंगलवार	जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25 एवं जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33 एवं सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41
बुधवार	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25 एवं जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33 एवं सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41
गुरूवार	जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25 एवं जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33 एवं सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41
शुकवार	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25	जे0एम0–प्रथम, कक्ष सं0–25 एवं जे0एम0–द्वितीय, कक्ष सं0–28	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33	जे0एम0–तृतीय, कक्ष सं0–33 एवं सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष सं0–41

d) सिविल जज सी0 डि0 से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले मामलों की सुनवाई निम्नलिखित चक्रीय व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

बैठने का दिन	न्यायिक अधिकारी	कार्य करने की अवधि
सोमवार	सिविल जज सी0 डि0 कक्ष संख्या–19	12:30 P.M- 02:30 P.M
मंगलवार	सिविल जज सी0 डि0/त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या–27	
बुधवार	सिविल जज सी0 डि0, कक्ष संख्या–19	
गुरूवार	सिविल जज सी0 डि0/त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या–27	
शुकवार	सिविल जज सी0 डि0, कक्ष संख्या–19	

e)सिविल जज जू0 डि0 से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले मामलों की सुनवाई निम्नलिखित चक्रीय व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

बैठने का दिन	न्यायिक अधिकारी	कार्य करने की अवधि
सोमवार	सिविल जज जू0 डि0 कक्ष संख्या–18	12:00 P.M- 02:00 P.M
मंगलवार	अपर सिविल जज जू0 डि0 कक्ष संख्या–26	
बुधवार	अपर सिविल जज जू0 डि0, कक्ष संख्या–37	
गुरूवार	अपर सिविल जज जू0 डि0, कक्ष संख्या–34	
शुकवार	अपर सिविल जज जू0 डि0 कक्ष संख्या–38	

Scanned by CamScanner

उक्त न्यायिक अधिकारियों में से किसी न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में सम्बन्धित कार्य उनके प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

02. न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों एवं निर्णयों को सी0 आई0 एस0 पर नियमानुसार अपलोड किया जायेगा।

03. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 के बिन्दु संख्या–3 में दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, जमानत नामें स्वीकार किये जाने एवं रिहाई आदेश आदि के निस्तारण के सम्बन्ध में उन्हीं वादकारियों एवं जमानदारों को सम्बन्धित न्यायालय की अनुमति से प्रवेश दिया जा सकेगा, जिनके पास कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी अथवा न्यायालयों द्वारा जिट्सी वीडियों कान्फ्रन्सिग साफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकार/निस्तारित किये जायेगें।

04. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 के बिन्दु संख्या–4 में दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में न्यायालय कर्मचारीगण का प्रवेश कम से कम होगा जो किसी भी दशा में 30 प्रतिशत (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित) से अधिक नहीं होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों एवं अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय/कार्यालय में चक्रीय व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये।

05. जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर के समस्त वाह्य न्यायालय (तिलहर, पुवांया एवं जलालाबाद) पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहावाद के द्वारा जारी पत्र संख्या--1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 22 अप्रैल, 2021 के अनुक्रम में प्रशासनिक आदेश सख्या 56/2021 में दिये गये दिशानिर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 के अनुरूप कार्य करेगें।

06. सर्व सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 04 जून, 2021 एवं पत्र संख्या 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 22 अप्रैल, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

07. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह इस कार्य योजना की जानकारी स्थानीय प्रिन्ट मीडिया पर प्रसारित एवं प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वह इन दिशा निर्देशों को जिला न्यायालय की वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

08. आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाये।

09. आदेश की एक–एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये तथा सार्वजनिक सूचना पटल, न्यायालय के विभिन्न गेटों, बाह्य न्यायालयों के सूचना पटल इत्यादि पर चस्पा करायी जाये।

10. इस कार्य योजना/आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये।

दिनांक–05–06–2021

Akhilesh Kumar Shukla
प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 05-06-2021
शाहजहॉपुर।

Scanned by CamScanner